समक्ष माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्र.क्र. निगरानी– / /17 R 493-म 17

1. श्रीमती फूलवती बाई पत्नी स्व0 श्री रमेश प्रसाद कीर
2. निर्भय सिहं आ0 स्व0 श्री रमेश प्रसाद कीर
3. उत्तमसिहं आ0 स्व0 श्री रमेश प्रसाद कीर

निवासी ग्राम होलीपुरा तहसील बुधनी
जिला सिहोर म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती रूकमणी यादव पत्नी श्री मोहनलाल यादव
निवासी ग्राम विसनखेडा तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
वर्तमान निवासी डी–243 रजत विहार कालोनी दानिश
नगर होशगाबाद रोड भोपाल म0प्र0
2. श्रीमती रोली गाधीं पत्नी श्री आशीष गाधीं
निवासी मकान न0 2/35 अरेरा कालोनी भोपाल

दोनो कृषक ग्राम पाडाडों तहसील बुधनी
जिला सिहोर म.प्र. ......अनावेदकगण

31/1/17

म0प्र0 राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण अपर कलेक्टर सिहोर द्वारा उनके प्रकरण क्र. 34/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20/01/17 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांडाडो तहसील बुधनी जिला सिहोर स्थित भूमि खसरा क0 25/3 रकवा 2.09 एवं खसरा क0 25/9 रकवा 0.30 एकड कुल किता 2 रकवा 2.39 एकड भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक क0 1 के पति एवं आवेदक क0 2 व 3 के पिता श्री रमेश प्रसाद के नाम दर्ज थी । आवेदकगण कीर (आदिवासी) जाति के है इसलिये आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि को कय करने से पुर्व सक्षम न्यायालय से अनुमति लिया जाना आवश्यक था । परन्तु प्रत्यर्थीगण ने सक्षम न्यायालय से विकय की अनुमति लिये विना ही उक्त भूमि अवैधानिक रूप से पजींकृत विकय पत्र दिनांक 30/09/2009 के द्वारा जरिये मुख्तारआम श्री डी0आर0 गाधी एवं मोहनलाल यादव से कय कर ली गयी । श्री रमेश प्रसाद के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदकगण को उक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई । जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकगण द्वारा

(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक 12-4913/II/17/सीहोर फूलवती/रूकमणी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
18/01/19	आवेदक की ओर से श्री प्रेमसिंह ठाकुर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला - सीहोर के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20-1-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग - भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को संभागीय आयुवत भोपाल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	